


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 338— एक / 11

जिला —कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.08.2015 	<p>आवेदक अभिभाषक एवं आवेदक कई दिनों से उपस्थित नहीं हुये। अतः आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी अनुपस्थित। अतः प्रकरण अनुपस्थित होने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अनावेदक की ओर से श्री एस०पी० धाकड़ उपस्थित</p> <p> </p>  <p>सदरच</p>	

समझः - न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोद्य, राजस्व मंडल गवालियर .

निगरानी प्र.क्र. :-

R - 338 - I / 2011

1 - पवन कुमारसुरेणा आत्मज रामगोपाल सुरेणा उमा.लग. 57 वर्ष,

2 - संतोष कुमार सुरेणा आत्मज रामगोपाल सुरेणा उमा.लग. 50 वर्ष,

श्रीमान् अग्रणी
निगरानी कार्ता
दाया आज दि 1-3-11
प्रस्तुत

क्रमांक । से 2 जन, निवासी महात्मागांधी वार्ड, कट्टी तक १०

व जिला कट्टी इम.प्र०.

निगरानी कर्ता.

अग्रणी
कार्ता
रामगोपाल भगवान् न्यायियर

किलो

1 - अरविन्द कुमार वल्दस्वनाथूराम तिवारी ,

बल्लभ भाई पैठ वार्ड, कट्टी हाल मुकाम राईट टाउन ज्वलपुर म.

2 - वीरेन्द्र कुमार तिवारी वल्द नाथूराम तिवारी ,

बल्लभ भाई पैठ वार्ड, कट्टी, अशोक कु कालोनी, कट्टी .

3 - झण कुमार तिवारी वल्द नाथूराम तिवारी ,

अशोक कालोनी, कट्टी, जिला - कट्टी इम.प्र०.

उत्तरार्थीगण.

निगरानी याचिका धारा 50 म.प० भू-राजस्व संहिता.

निगरानी कर्ता श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी कट्टी के राजस्व प्रकरण क्र. 4/अस्थ्री/121/08-09 वीरेन्द्र कुमार तिवारी किलो पवन सुरेणा

बगैरह मे पारित आदेश दिनांक ०८-०८-०९ एवं दिनांक ०७-०८-११ मे

पारित आदेश के किलो निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी निर्णय

प्रस्तुत करते है :-

प्रकरण के तथ्य

1 - यहांक प्रत्यर्थीगणों के द्वारा एक आवेदनपत्र माननीय तहसील दा-

Rajendra Kumar Singh
कट्टी के समक्ष इस आशय का पेश किया था कि मैजा मुद्वारा पत्तारी हल्क

नंबर 42, अशोक कालोनी बल्लभ भाई पैठवार्ड स्थित प्लाट ३० x ६० म